



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 611) पटना, शुक्रवार, 12 जून 2026

सं0 02/रेगु.-2-900-02/2026-1099

गन्ना उद्योग विभाग

संकल्प

10 जून 2026

विषय:—मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा० लि०, सासामूसा, गोपालगंज का पुनः परिचालन के निमित्त उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) रुपये भुगतान की स्वीकृति।

मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा० लि०, सासामूसा, गोपालगंज एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। इस चीनी मिल की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाने के कारण सासामूसा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा मिल का परिचालन पेराई सत्र 2020-21 के उपरान्त बंद कर दिया गया। इस चीनी मिल द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण लिया गया था। ऋण की राशि लगभग मो० 68,35,04,916.00 (अड़सठ करोड़ पैंतीस लाख चार हजार नौ सौ सोलह) रुपये (सूद सहित) की वसूली हेतु बैंक द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन.सी.एल.टी.), कोलकाता बेन्च में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता अधिनियम, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code Act, 2016) की धारा-7 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च में वाद संख्या-सी.पी.(आई.बी.) नं० 157/के.बी./2021, (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा० लि० एवं अन्य) दिनांक-17.11.2022 वाद दायर किया गया।

गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा सासामूसा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के बकाये ईख मूल्य मो० 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) (मूलधन) एवं अन्य बकायों के भुगतान हेतु विधि विभाग के परामर्शानुसार राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च में दावा याचिका (Claim Petition) दायर किया गया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च द्वारा नियुक्त रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (Resolution Professional) द्वारा किसानों के बकाये ईख मूल्य मो० 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) (मूलधन) का दावा किसानों के बकाये के रूप में स्वीकार किया गया है।

2. वर्तमान में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, कोलकाता बेन्च द्वारा नियुक्त परिसमापक (Liquidator) श्री मनीष जैन द्वारा इस चीनी मिल का ब्लॉक वाइज (Block wise) ई-निविदा “ऐज इज वेयर इज बेसिस” (As is where is basis) पर कराया जा रहा है। प्लान्ट एवं मशीनरी का मो० 17.64 करोड़ रुपये में निविदा सम्पन्न हो चुका है। चीनी मिल की जमीन का ई-निविदा कराया जा रहा है। इसी बीच एक निवेशक द्वारा सासामूसा

चीनी मिल को पुनः चालू करने का प्रस्ताव माननीय NCLT में समर्पित किया गया है। निवेशक के आवेदन पर माननीय NCLT, कोलकाता बेंच द्वारा निर्णय लिया जाना है।

उल्लेखनीय है कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के आलोक में सर्वप्रथम सुरक्षित लेनदार (Secured Creditors) यथा संबंधित बैंक, वित्तीय संस्थानों को अधिकतम राशि प्राप्त होगी।

गन्ना कृषक परिचालन ऋणदाता (Operational Creditor) हैं, अतः कृषकों को बहुत कम राशि प्राप्त होने की संभावना है। किसानों के बकाये ईख मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इस व्यवस्था के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं बंद पड़े सासामूसा चीनी मिल का पुनः परिचालन हो सकेगा।

3. उपरोक्त के आलोक में मेसर्स सासामूसा सुगर वर्क्स प्रा० लि०, सासामूसा, गोपालगंज का पुनः परिचालन के निमित्त उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 42,99,09,095.00 (बयालीस करोड़ निनानबे लाख नौ हजार पनचानबे) रुपये का भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के उपरान्त किसानों को बकया राशि भुगतये होगा।

4. बंद सासामूसा चीनी मिल के विरुद्ध जिन किसानों का बकाया है, उसकी सूची एवं बकाया राशि संबंधी विवरण इस चीनी मिल के परिसमापक द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है। तदनुसार ही स्वीकृति के शर्तों के अधीन बकाया राशि का भुगतान अनुमान्य होगा।

5. गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य की भुगतये राशि का आवंटन चीनी मिल के एक पेराई वर्ष के सफल परिचालन के पश्चात् जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को किया जायेगा एवं जिला पदाधिकारी द्वारा किसानों का बकाये ईख मूल्य का भुगतान किया जायेगा। विहित प्रक्रिया अन्तर्गत जॉचोपरान्त संबंधित कृषकों के बकाये ईख मूल्य की देय राशि का भुगतान जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा डी.बी.टी./आर.टी.जी.एस./ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे कृषकों के खाते में राशि का अन्तरण किया जायेगा तथा बची हुई राशि कोई हो, तो ससमय सरकार के संगत शीर्ष में 'घटाये वापसी' के रूप में नियमानुसार जमा किया जायेगा। ईख पदाधिकारी, गोपालगंज, गन्ना उद्योग विभाग की ओर से नोडल पदाधिकारी होंगे।

6. यह राशि बजट शीर्ष सामान्य श्रेणी अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 201-चीनी, उपशीर्ष 0103-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-45-2852082010103, विषय शीर्ष-33 01 सब्सिडी अन्तर्गत प्राप्त बजट/राज्य आकस्मिकता निधि/अनुपूरक बजट उपबंध से विकलनीय होगा।

7. (Liquidator) द्वारा निविदा कार्रवाई सम्पन्न करने के पश्चात् नीलामी में प्राप्त होने वाली राशि में से संबंधित गन्ना किसानों के बकाये मद में विभाग को भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि को सरकार के संगत शीर्ष में नियमानुसार ससमय जमा किया जायेगा।

8. प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-08.06.2026 को मद संख्या-1 में संचिका संख्या-02/रेगु.-2-900-02/2026 के पृष्ठ-31/टि० पर प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 611-571+200-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>